कार्यालय नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर)

ई–मेल : psa.hgcd.rj@nic.in
Website :http://home.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– प.37( )एचजी/पीएसएएल/2022/27784-86 दिनांक :06 SEP 2022

संयुक्त शासन सचिव,
गृह (ग्रुप–7) विभाग,
राजस्थान जयपुर ।

विषय :– समाचार खंडन नोट

गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा को राजस्थान राजपत्र दिनांक 26.08.2022 में अधिसूचना जारी कर राजस्थान प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सीज (विनियमन) नियम, 2022 प्रभावी कर दिये गये है।

विभाग के संज्ञान में आया है कि First India News द्वारा दिनांक 01.09.2022 को खबर (प्राईवेट सिक्योरिटी एजेन्सी नियमो में बदलाव, अब एजेन्सी के लिये सरकार से लेना होगा लाईसेस, सिर्फ 6 महीने के लिये ही मिल सकेगा लाईसेंस) चलाकर दिखाया गया।

उक्त सम्बंध में समाचार खंडन नोट तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(अमृत कलश)
अति. महानिदेशक पुलिस,
गृह रक्षा मुख्यालय राजस्थान,
जयपुर

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
2. श्री मदन मोहन जोशी, वरिष्ठ सहायक, गृह रक्षा राजस्थान जयपुर को समाचार खंडन नोट की प्रति संलग्ल कर लेख है कि विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करावे ।

अति. महानिदेशक पुलिस,
गृह रक्षा मुख्यालय राजस्थान,
जयपुर

कार्यालय नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर)

ई-मेल : psa.hqcd.rj@nic.in
Website : http://home.rajasthan.gov.in

दिनांक :- 06 SEP 2022

समाचार खंडन नोट

राजस्थान प्राईवेट सिक्युरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम 2022 पारित

गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा को राजस्थान राजपत्र दिनांक 26.08.2022 में अधिसूचना जारी कर राजस्थान प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सीज (विनियमन) नियम, 2022 प्रभावी कर दिये गये है।

विभाग के संज्ञान में आया है कि First India News द्वारा दिनांक 01.09.2022 को खबर (प्राईवेट सिक्योरिटी एजेन्सी नियमो में बदलाव, अब एजेन्सी के लिये सरकार से लेना होगा लाईसेस, सिर्फ 6 महीने के लिये ही मिल सकेगा लाईसेंस) चलाकर दिखाया गया। उक्त खबर के सम्बंध में स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान प्राईवेट सिक्युरिटी एजेन्सी का लाईसेस जारी होने के 06 माह की अवधी मे कारोबार शुरू करने की सूचना नियंत्रक प्राधिकारी को देना अनिवार्य है, जो पुराने पसारा नियमो से ही प्रभावी है, एवं लाईसेंस की वैधता अवधी 05 वर्ष है। किसी प्रकार का बदलाव नही किया गया है।

राजस्थान राज्य में पूर्व में राजस्थान प्राईवेट सिक्युरिटी एजेन्सी नियम 2006 लागू थे, जिसके अनुसार प्राईवेट सिक्युरिटी एजेन्सी हेतु 05 वर्ष के लिये लाईसेस जारी किये जाते है, उसके उपरान्त लाईसेंस को नवीनीकरण करना होता है ।

उक्त नियमो में गृह मंत्रालय भारत सरकार के मॉडल नियम 2020 अनुसार संशोधन कर राजस्थान प्राईवेट सिक्युरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम 2022 लागू हो चुके है, जिसके अनुसार लाईसेंस जारी किये जायेगे तथा लाईसेस की वैधता 05 वर्ष की ही होगी। एक बार लाईसेस जारी होने के उपरान्त यदि आवेदक किसी प्रकार का बदलाव (यथा एजेन्सी नाम मे संशोधन, प्रोपराईटर/पार्टनर अथवा निदेशक में बदलाव, कार्यालय पते मे बदलाव एवं डुप्लीकेट लाईसेस की प्रति) चाहने पर राशि रूपये 2500/- का शुल्क देय होगा। इसके अतिरिक्त संपूर्ण नियम विभाग की वैबसाईट https://home.rajasthan.gov.in/homeguards पर भी उपलब्ध है।

(अमृत कलश)
अति. महानिदेशक पुलिस,
गृह रक्षा मुख्यालय राजस्थान,
जयपुर